

न्यायालय उप जिलाधिकारी रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

वाद सं: 20/2011-12

धारा 143 ज0वि0अधिनियम

गीता दीप एजुकेशन सोसाईटी

बनाम

सरकार

मौजा सरगथल मु0 परगना व तहसील

रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

आदेश दिनांक 13-6-2012 ला0क्र: 13-6-20

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रार्थी प्रशान्त वर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद वर्मा निवासी मौ0 प्रद्युमन नगर सहारनपुर बहैसियत सचिव गीता दीप एजुकेशन सोसायटी प्रद्युमन नगर, सहारनपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधिनियम के आधार पर गतिमान हुई। प्रार्थना पत्र के अनुसार भूमि ख0नं0 68म/0.6830 है0 स्थित ग्राम सरगथल मुस्तहकम परगना व तहसील रामपुर मनिहारान गीता दीप एजुकेशन सोसाईटी के नाम संकमणीय भूमिधरी के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि में समिति स्कूल संचालन हेतु भवन बनाना चाहती है। प्रार्थना पत्र में भूमि ख0नं0 68म/0.6830 है0 स्थित ग्राम सरगथल मुस्तहकम परगना व तहसील रामपुर मनिहारान को धारा 143 ज0वि0अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, रामपुर मनिहारान से जांचाख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार, रामपुर मनिहारान की जांचाख्या दिनांक 12.4.2012 के अनुसार ग्राम सरगथल मुस्तहकम परगना व तहसील रामपुर मनिहारान का ख0नं0 68म/0.6830 है0 गीता दीप एजुकेशन सोसाईटी के नाम संकमणीय भूमिधरी के रूप में अंकित है। उक्त भूमि में स्थल पर चारदीवारी बनी है। कोई कृषि कार्य या मत्स्यपालन या कुक्कुट पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है अर्थात् अकृषिक है। तहसील आख्या में ग्राम सरगथल मुस्तहकम परगना व तहसील रामपुर मनिहारान के ख0नं0 68म/0.6830 है0 को आबादी/अकृषिक दर्ज किये जाने की संस्तुति की गयी है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि तहसीलदार, रामपुर मनिहारान की जांचाख्या दिनांक 12.4.2012 के अनुसार ग्राम सरगथल मुस्तहकम परगना व तहसील रामपुर मनिहारान में ख0नं0 68म/0.6830 है0 गीता दीप एजुकेशन सोसाईटी प्रद्युमन नगर, सहारनपुर द्वारा सचिव प्रशान्त वर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद वर्मा निवासी प्रद्युमन नगर, सहारनपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर के नाम संकमणीय भूमिधरी के रूप में दर्ज है। स्थल पर उक्त भूमि पर कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि नहीं हो रहा है तथा अकृषिक है। तहसील आख्या में ग्राम सरगथल मुस्तहकम परगना व तहसील रामपुर मनिहारान के ख0नं0 68म/0.6830 है0 को आबादी/अकृषिक दर्ज किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः तहसील आख्या के आधार पर ग्राम सरगथल मुस्तहकम परगना व तहसील रामपुर मनिहारान के ख0नं0 68म/0.6830 है0 को अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की प्रतिलिपि तहसीलदार, रामपुर मनिहारान को अभिलेखों में इन्द्राज हेतु एवं उपनिबन्धक, रामपुर मनिहारान को सूचनार्थ प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली बाद आवश्यक पूर्ति अभिलेखागार में संचित होवे।

दिनांक: 15 जून, 2012

(अशोक कुमार कनौजिया)
उप जिलाधिकारी,
रामपुर मनिहारान।

408




13-6-2012

14-6-2012

14-6-2012

145

Rs. 14-00



अशोक कुमार कनौजिया

14/6/12

न्यायालय उप जिलाधिकारी रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

वाद सं: 2/2011-12

धारा 143 उ0प्र0ज0वि0अधिनियम

गीता दीप एजुकेशन सोसाईटी

बनाम

सरकार

मौजा सरगथल मु0 परगना व तहसील
रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

प्रति लिपि आदेश दिनांक 13-6-2012



प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रार्थी प्रशान्त वर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद वर्मा निवासी मौ0 प्रद्युमन नगर सहारनपुर बहैसियत सचिव गीता दीप एजुकेशन सोसाईटी प्रद्युमन नगर, सहारनपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधिनियम के आधार पर गतिमान हुई। प्रार्थना पत्र के अनुसार भूमि ख0नं0 68म/1.366 है0 स्थित ग्राम सरगथल मुस्तहकम परगना व तहसील रामपुर मनिहारान गीता दीप एजुकेशन सोसाईटी के नाम संकमणीय भूमिधरी के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि में समिते स्कूल संचालन हेतु भवन बनाना चाहती है। प्रार्थना पत्र में भूमि ख0नं0 68म/1.366 है0 स्थित ग्राम सरगथल मुस्तहकम परगना व तहसील रामपुर मनिहारान को धारा 143 ज0वि0अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रामपुर मनिहारान से जांचाख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार रामपुर मनिहारान की जांचाख्या दिनांक 12.4.2012 के अनुसार ग्राम सरगथल मुस्तहकम परगना व तहसील रामपुर मनिहारान का ख0नं0 68म/1.366 है0 गीता दीप एजुकेशन सोसाईटी के नाम संकमणीय भूमिधरी के रूप में अंकित है। उक्त भूमि में स्थल पर चारदीवारी बनी है। कोई कृषि कार्य या मत्स्यपालन या कुक्कुट पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है अर्थात् अकृषिक है। तहसील आख्या में ग्राम सरगथल मुस्तहकम परगना व तहसील रामपुर मनिहारान के ख0नं0 68म/1.366 है0 को आबादी/अकृषिक दर्ज किये जाने की संस्तुति की गयी है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि तहसीलदार रामपुर मनिहारान की जांचाख्या दिनांक 12.4.2012 के अनुसार ग्राम सरगथल मुस्तहकम परगना व तहसील रामपुर मनिहारान में ख0नं0 68म/1.366 है0 गीता दीप एजुकेशन सोसाईटी प्रद्युमन नगर, सहारनपुर द्वारा सचिव प्रशान्त वर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद वर्मा निवासी प्रद्युमन नगर, सहारनपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर के नाम संकमणीय भूमिधरी के रूप में दर्ज है। स्थल पर उक्त भूमि पर कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि नहीं हो रहा है तथा अकृषिक है। तहसील आख्या में ग्राम सरगथल मुस्तहकम परगना व तहसील रामपुर मनिहारान के ख0नं0 68म/1.366 है0 को आबादी/अकृषिक दर्ज किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः तहसील आख्या के आधार पर ग्राम सरगथल मुस्तहकम परगना व तहसील रामपुर मनिहारान के ख0नं0 68म/1.366 है0 को अकृषिक घोषित किया जाता है। अदेश की प्रतिलिपि तहसीलदार रामपुर मनिहारान अभिलेखों में इन्द्राज हेतु एवं उपनिबन्धक रामपुर मनिहारान को सूचनार्थ प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली वाद एक पूर्ति अभिलेखागार में संचित होवे।

क: 15 जून, 2012



(अशोक कुमार केनौजिया)
उप जिलाधिकारी,
रामपुर मनिहारान।


409

13-6-2012

14-6-2012

14-6-2012

165
Rs. 144



रामपुर मनिहारान

17/6/12

रामपुर मनिहारान